दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार 26 अगस्त, 2002 / भाद्रपद 04 , 1924 (शक)

संख्या: 228

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना अध्यक्ष ,संसद मार्ग , नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री रूप चन्द को दिनांक 23/8/ 2002 के अपराहन 2.25 बजे, पुलिस की विधिसम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 16/8/2002 को अपराह्न 2.40 बजे रिहा कर दिया गया । "

> एस.के.शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday, 26th August, 2002/ Bhadrapada 04, 1924(Saka)

No. 228

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO Police Station, Parliament Street New Delhi:

'I have the honour to inform you that Shri Roop Chand, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 14.25 hrs. on 23.8.2002

He was released at 1440 hrs. on the same day i.e. 23.8.2002 "

S.K.SHARMA SECRETARY